

मु.नं. 16/11 चूड़ाग्राम / नंदकिशोर

वाद

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	<p>24/9/21</p> <p>14/12/21</p>	<p>प्रसाइडिंग ऑफीसर दौरे / अवकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 14/12/21 को पेश हो</p> <p>आज यह पञ्जावली प्रशासन गांवो के संग अभियान ग्राम वृसिहपुरा में पेश हुई ककील वादी उपर। अतिवादी स्वयं उपर। मुलाविक कुरेजाल रिपोर्ट दि. 15/11/21 के अनुसार वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने पर सहमत है। कुरेजाल रिपोर्ट व पञ्जावली का सफलता कन किया। मुलाविक कुरेजाल रिपोर्ट दिनांक 15/11/21 के अनुसार वाद अन्तिम डिक्री किया जाता है। विद्वत् निर्णय प्रथक से लिया जाता शांति किया गया। अन्तिम डिक्री जारी हो। पञ्जावली केस (शुभा) होना का नक्का से कम हो तथा वास्तिव दफ्तर है।</p> <p>सहायक कलक्टर दौरे (जयपुर)</p>

न्यायालय प्रशासन पीठ

मुकदमा नं०

चूड़ाग्राम चौमं.

मु.नं. 16/11 चूड़ाग्राम / नंदकिशोर

14/12/21

14/12/21



न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूँ, जयपुर  
प्रशासन गांवों के संग अभियान, ग्राम नृसिंहपुरा  
पीठासीन अधिकारी :- श्री हर्षित वर्मा (R.A.S.)

मुकदमा नं0:-16/2011

उनवान

धूडाराम पुत्र श्री लादू, उम्र 70 वर्ष, जाति अहीर, निवासी ग्राम उगरियावास, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।

-वादी-

बनाम

1. नन्दकिशोर पुत्र लादू दत्तक पुत्र भूरामल, जाति अहीर, निवासी ग्राम उगरियावास, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
  2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
- प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा  
अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम  
निर्णय

दिनांक :-14.12.2021


पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 के तहत कैम्प ग्राम नृसिंहपुरा में पेश हुई। वकील वादी एवं प्रतिवादी स्वयं उपस्थित। वकील वादी एवं प्रतिवादी को सुना गया। वकील वादी एवं प्रतिवादी ने प्राप्त कुर्रैजात रिपोर्ट दिनांक 15.01.2021 के अनुसार वाद को अन्तिम डिक्री करने का निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, प्राप्त कुर्रैजात रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन किया गया। वादपत्र तकासमा का है व खातेदारों का रिकॉर्ड व मौके के अनुसार तकासमा किया जाना है। कुर्रैजात रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि कुर्रैजात रिपोर्ट रिकॉर्ड व मौके के अनुसार व रास्ते की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। जो न्यायालय के आदेशानुसार बनाई गई है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं पाई गई है। अतः मुताबिक कुर्रैजात रिपोर्ट दिनांक 15.01.2021 वाद को अन्तिम डिक्री किया जाता है एवं विवादग्रस्त भूमि आराजी खसरा नं0 177 रकबा 4.10 है0, खसरा नं0 195 रकबा 0.10 है0, खसरा नं0 196 रकबा 0.07 है0, खसरा नं0 197 रकबा 0.08 है0, खसरा नं0 198 रकबा 0.08 है0, कुल किता 5 का कुल रकबा 4.43 हैक्टेयर भूमि, वाके ग्राम उगरियावास, पटवार हल्का मलिकपुर, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर का बंटवारा निम्नानुसार किया जाता है:-

सहायक कलक्टर  
चौमूँ (जयपुर)

1. धुडाराम पुत्र लादूराम जाति अहीर राहिन ओ0बी0सी0 बैंक शाखा गोविन्दगढ़, सा0 देह खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 177/1 रकबा 2.2150 है0, कुल किता 1 का कुल रकबा 2.2150 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी। जोकि नजरी नक्शे में पीले रंग से दर्शायी गई है।
2. नन्दकिशोर पुत्र लादू दत्तक पुत्र भूराराम जाति अहीर राहिन एच0डी0एफ0सी0 बैंक शाखा चौमूं सा0 देह खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 177/2 रकबा 1.8850 है0, खसरा नम्बर 195 रकबा 0.1000 है, खसरा नम्बर 196 रकबा 0.0700 है0, खसरा नम्बर 197 रकबा 0.0800 है0, खसरा नम्बर 198 रकबा 0.0800 है0, कुल किता 5 का कुल रकबा 2.2150 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी। जोकि नजरी नक्शे में गुलाबी रंग से दर्शायी गई है।

अंतिम डिकी जारी हो। नजरी नक्शा डिकी व निर्णय का जुज रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 14.12.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर प्रशासन गांवों के संग अभियान ग्राम नृसिंहपुरा में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम तथा दाखिल दफ्तर हो।

  
सहायक कलेक्टर  
चौमूं (नयपुर)

**डिक्री मुकदमा इब्तादाई**  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)  
**न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूं, जयपुर**  
**प्रशासन गांवों के संग अभियान, ग्राम नृसिंहपुरा**  
**पीठासीन अधिकारी :- श्री हर्षित वर्मा (R.A.S.)**

**उनवान**

धूडाराम पुत्र श्री लादू, उम्र 70 वर्ष, जाति अहीर, निवासी ग्राम उगरियावास, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

-वादी-

**बनाम**

1. नन्दकिशोर पुत्र लादू दत्तक पुत्र भूरामल, जाति अहीर, निवासी ग्राम उगरियावास, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
  2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
- प्रतिवादीगण


**वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा**  
**अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**

**मुकदमा नं0:-16/2011**

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरु हाजरी वकील वादी एवं प्रतिवादी मिनजामिन मुददई रूबरु श्री हर्षित वर्मा आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि-

विवादग्रस्त भूमि आराजी खसरा नं0 177 रकबा 4.10 है0, खसरा नं0 195 रकबा 0.10 है0, खसरा नं0 196 रकबा 0.07 है0, खसरा नं0 197 रकबा 0.08 है0, खसरा नं0 198 रकबा 0.08 है0, कुल किता 5 का कुल रकबा 4.43 हैक्टेयर भूमि, वाके ग्राम उगरियावास, पटवार हल्का मलिकपुर, तहसील चौमूं, जिला जयपुर का मुताबिक कुर्रजात रिपोर्ट दिनांक 15.01.2021 के अनुसार निम्न प्रकार से बंटवारा किया जाता है:-

1. धूडाराम पुत्र लादूराम जाति अहीर राहिन ओबीसी0 बैंक शाखा गोविन्दगढ़, सा0 देह खातेदार के हिरसे में खसरा नम्बर 177/1 रकबा 2.2150 है0, कुल किता 1 का कुल रकबा 2.2150 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी। जोकि नजरी नक्शे में पीले रंग से दर्शायी गई है।
2. नन्दकिशोर पुत्र लादू दत्तक पुत्र भूराराम जाति अहीर राहिन एच0डी0एफ0सी0 बैंक शाखा चौमूं सा0 देह खातेदार के हिरसे में खसरा नम्बर 177/2 रकबा 1.8850 है0, खसरा नम्बर 195 रकबा 0.1000 है, खसरा नम्बर 196 रकबा 0.0700 है0, खसरा

  
सहायक कलक्टर  
चौमूं (जयपुर)

नम्बर 197 रकबा 0.0800 है0, खसरा नम्बर 198 रकबा 0.0800 है0, कुल किता 5 का कुल रकबा 2.2150 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी। जोकि नजरी नक्शे में गुलाबी रंग से दर्शायी गई है।

निजी .....मबलिक ..... बाबत .....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक ..... को अदा करें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 14.12.2021 को जारी किया गया।

मोहर

दस्तखत सहायक कलक्टर  
चौमूँ (जयपुर)  
ओहदा.....

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा	2	1. स्टाम्प अर्जी दावा	
2. स्टाम्प वकालतनामा	1	2. स्टाम्प वकालतनामा	1
3. स्टाम्प वजह सबूत		3. महन्ताना वकील	
4. महन्ताना वकील		4. खर्चा गवाहन	
5. खर्चा गवाहन		5. फीस कमिश्नर	
6. फीस कमिश्नर		6. बाबत इजराय	
7. बाबत इजराय		हुक्मनामा	
हुक्मनामा		7. मुतफरिक	
8. मुतफरिक			
जोड़	3	जोड़	1

सहायक कलक्टर  
चौमूँ (जयपुर)